J.O .Code N0. UP-6298
CNR NO-UPBR01-010348-2022
सिविल अपील संख्या–50/2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–10, बरेली।
तबरेज़ अहमद –उच्चतर न्यायिक सेवा
सिविल अपील सं0–50 सन 2022

श्रुति गुप्ता पुत्री ज्योति गुप्ता, निवासी मकान सं0–71, रामवाटिका, कालोनी, पोस्ट श्यामगंज, थाना बारादरी जिला बरेली। .....वादिनी/अपीलार्थिनी

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया, द्वारा रीजनल पासपोर्ट आफीसर, पासपोर्ट आफिस, रोहेलखण्ड यूनिवर्सिटी रोड, बरेली। .....प्रतिवादी/उत्तरदाता

अपीलार्थी के अधिवक्ता **श्री रजत विन्दल,**
उत्तरदाता के अधिवक्ता **श्री विपिन कुमार जैन,**

निर्णय

1. अपीलार्थिनी/वादिनी (जिन्हें निर्णय में वादिनी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) द्वारा प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील उत्तरदाता (जिन्हें निर्णय में प्रतिवादी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) के विरूद्व विद्वान सिविल जज (जू0डि0) शहर, (जिसे एतपश्चात् विद्वान परीक्षण न्यायालय के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) बरेली द्वारा मूलवाद सं0–375 सन 2021 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08. 2022 के विरूद्ध योजित की गयी हैं।

2. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 08.08.2022 द्वारा वादिनी का आदेशात्मक व्यादेश एवं उद्घोषणात्मक व्यादेश हेतु योजित मूलवाद सं0–375 सन 2021 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया निरस्त किया गया।

3. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2022 को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के विरूद्ध तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मामला प्रार्थना पत्र 25ग आपत्ति 26ग अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 जाब्ता दीवानी के निस्तारण हेतु नियत था तथा उभय पक्षों की बहस सुनी जा चुकी थी, लेकिन अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित न करते हुए सम्पूर्ण मामला गुणदोष के आधार पर निर्णीत कर दिया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण मामला उन्हें साक्ष्य का अवसर दिये बिना उनकी बहस सुने बिना सम्पूर्ण मामले को गुणदोष के आधार पर निर्णीत कर दिया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा किसी भी विवाद्यक पर अपना अभिमत व्यक्त नहीं किया और बिना किसी न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये जल्दबाजी में निर्णय दिनांक 08.08.2022 पारित कर दिया, जो कि उनके द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पारित किया गया है। उनके द्वारा मूलवाद संख्या–375/2021 में विद्वान सिविल जज(जू0डि0) शहर बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2022 को निरस्त कर मामले को अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर गुणदोष के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

3.1 वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा कि प्रतिवादी की ओर से आदेश–7 नियम–11 जाब्ता दीवान के तहत प्रार्थना पत्र 25ग प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थना

पत्र आदेश–7 नियम–11 जाब्ता दीवानी पर उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली आदेश हेतु नियत कर लिया गया। पत्रावली आदेश हेतु नियत करने के पश्चात भी 14 दिन के अन्दर आदेश पारित नहीं किया गया। पत्रावली में आदेश हेतु दिनांक 19.05.2022 की तिथि नियत की गयी, उसके पश्चात दिनांक 19.05.2022 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया और पत्रावली में दिनांक 21.05.2022 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 21.05.2022 को भी कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया और पत्रावली में दिनांक 26.07.22 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 26.07.22 को कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया और न ही आदेश पत्र पर कोई आदेश ही लिखा गया। दिनांक 08.08.2022 को उन्हें बिना सुने मामलें में निर्णय पारित कर दिया गया। आदेश–20 जाब्ता दीवानी में जो निर्णय की परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार न तो निर्णय पारित किया गया, न ही जो विवाद्यक विरचित किये गये थे उन विवाद्यको पर कोई निष्कर्ष दिया गया। आदेश दिनांक 08.08.2022 में यह उल्लिखित है कि प्रार्थना पत्र 6ग एवं आपत्ति 10ग पर सुना जबकि पत्रावली में कोई प्रार्थना पत्र 6ग एवं आपत्ति 10ग है ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तों के विपरीत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदेश पारित किया गया है तथा किसी भी न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह इस प्रकार का आदेश पारित करें, क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 जाब्ता दीवानी पर उभय पक्षों को सुना जा चुका था। उसका निस्तारण न कर परीक्षण न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से प्रार्थना पत्र 6ग निस्तारित कर दिया, जबकि पत्रावली पर कोई प्रार्थना पत्र 6ग है ही नहीं। उन्हें न तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और न ही उन्हें सुना गया अतः उनके द्वारा याचना की गयी कि आदेश दिनांकित 08.08.2022 को निरस्त कर मामले को सुनवायी हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जाये।

4. प्रतिवादी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्को से सहमत होते हुए कहा गया कि उनके द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष आदेश–7 नियम–11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र 25ग प्रस्तुत किया गया था और उस पर सुनवायी भी हो गयी और पत्रावली आदेश हेतु नियत भी कर ली गयी थी, इस आशय का आदेश पत्र पर उल्लेख भी किया गया कि उभय पक्षों को सुना पत्रावली आदेश हेतु पेश हो तथा कई तिथियॉ उसके बाद व्यतीत हो गयी तथा उन्हें बिना सुने ही मामले का निस्तारण कर दिया गया, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम यदि प्रतिवादी की ओर से आदेश–7 नियम–11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसका निस्तारण करना होता है, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं किया गया और मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा यह याचना की गयी कि इस मामले को पुनः सुनवायी हेतु विद्वान परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जाये।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तृत रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

6. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षो का विश्लेषण व उनकी मीमांशा करने से पूर्व उस विधिक स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता हैं जो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखत निष्कर्षों व मीमांशा, के अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रेखांकित करती हैं। यह विधिक स्थिति पूर्ण रूप से स्थापित हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय की स्थिति परीक्षणीय न्यायालय की नहीं हैं अर्थात अपीलीय न्यायालय से अपेक्षित

नहीं हैं कि वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण व मीमांशा करने के उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों से पूर्णतः पृथक रूप से व संज्ञान में लिये बिना ही अपने निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए निर्णय करे, बल्कि अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक हैं कि वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य,प्रलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य के प्रकाश में अवर न्यायालय द्वारा अभिलखित निष्कर्षों का विश्लेषण व उनकी मीमांसा करें। यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलीय न्यायालय एवं अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों से स्वंय सहमति पाता हैं तो उस अवस्था में अपीलीय न्यायालय के लिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक नहीं हैं, बल्कि वह सामान्य रूप से अपने निष्कर्षो के अभिवक्त अवर न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं तो उस अवस्था में अपीलीय न्यायालय के लिए उसके स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करना अपेक्षित होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यू मंजू नाथ राय बनाम यू0 चन्द्रशेखर आदि ए0 आई0आर0 2017 सु0को पेज 3591** के केस में दिये गये निर्णय के प्रस्तर 12 में सिविल प्रकिया संहिता की धारा–41 नियम 31 के सन्दर्भ में निम्न प्रावधान की व्याख्या करते हुए विधिक स्थिति को रेखांकित किया हैः–

On a perusal of the said rule, it is quite clear that the Judgement ot the appellate court has to state the reasons for the decision. It is necessary to make it clear that the approach of the first appellate court while affirming the Judgement of the trial Court and veversing the same is founded on different parameters as per the Judgement of this Court. In Girijanandini Devi (Supra),the Court ruled that while agreeing with the view of the trial Court on the evedence,it is not necessary to restate the effect of the 11 evidence or reitetate the reasons given by the trial court. Expression of general agreement with reasons given in the trial court Judgement which is under appeal should ordinarily suffice. The same has been accepted by another three-Judge Bench in santosh Hazari (AIR 1967SC 1124) (Supra). However, while sating the law,the court has opined that expression of general agreement with the findingSa recorded in the Judgement under appeal should not be a device or camouflage to be adopted by tye appellate court for shirking the duty cast on it. We are disposed to think, the expression of the said opinion has to be understood in proper perspective. By no stretch of imagination it can be stated that the first appellate court can quote passages from the trial court Judgement and thereafter pen few lines and express the view that there is no differ with the trial court Judgement. That is not the statement of law expressed by the court. The statement of law made in **Santosh Hazari:,9 AIR 2001 SC 965) (Supra)**has to be borne in mind.The Apex Court in **Jamila Begum (D) Thr. Lrs. Shami Mohammad Thr. Lrs and other AIR 2019 SC 72**, held that the appellant court has jurisdiction to reverse or affirming the trial court first appeal is a valuable right of the parties unless restructured by law due whole case is therein open for rehearing bot on question of fact and law. While writing a judgment of reversal the appellate court must remain

conscious of two principle-First- the finding of fact based on complicating evidence arrived at by the trial court must weigh with the appellate court, ore so when the findingSa are based on oral evidence recorded by the same P.O. who authors the judgment. This certainly does not mean that when an appeal lies on facts, the appellate court is not competent to reverse a findingSa of fact arrived at by the trial judge. As a matter of law if the appraisal of the evidence by the trial court suffers from a material irregularity or is based on inadmissible evidence or on conjectures and surmises, the appellate court is entitled to interforce with the finding of fact.

The Apex Court held is **Marthy and other Vs Sardambal and others AIR 2022 SC 167** that while reversing or modefying Judgment of Trial Court.Appellate Court is duty bound to refleet in its judgment conscious applictuion of mind on finding supported by reasons as well as contentions put forth and pressed by parties

7. मेरे विचार से मैमों ऑफ अपील तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा जो तर्क दिये गये हैं उन तर्को के आधार पर निम्न विन्दु विनिश्चय हेतु उत्पन्न होता है कि क्या विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2022 विधि विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है? तथा मामले को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है?

8. मेरे द्वारा मूलवाद सं0–375 सन 2021 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की पत्रावली का परिशीलन किया गया। मूलवाद सं0–375 सन 2021 के परिशीलन से विदित होता है कि उक्त पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 06.12.2021 को विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किये गये।

1. क्या वादिनी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री का अनुतोष पाने की अधिकारी है?
2. क्या वादिनी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञापक व्यादेश डिक्री का अनुतोष पाने की अधिकारी है?
3. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
4. क्या दिया गया न्यायशुल्क पर्याप्त है?
5. क्या न्यायालय को प्रस्तुत वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
6. क्या वादिनी अन्य किसी अनुतोष को पाने की अधिकारी है?

8.1 उसके पश्चात दिनांक 16.12.2021 को वाद विन्दु संख्या–3 व 4 का प्रारम्भिक वाद विन्दु के रूप में निस्तारण किया गया। दिनांक 23.03.2022 को वादी की ओर से शपथपत्र व फैसला मूल कागजात दाखिल किया गया।

8.2 पत्रावली में दिनांक 12.04.2022 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि,''***वाद पेश हुआ। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू0–1 दिनांक 15.04.2022 को पेश हो।***'' हस्ताक्षर अपठित।

8.3 दिनांक 15.04.2022 को इस आशय का आदेश पारित हुआ कि,''***वाद पेश हुआ। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण 25ग दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।***'' हस्ताक्षर अपठित।

8.4 दिनांक 25.04.2022 को आदेश पत्र पर यह आदेश उल्लिखित हुआ कि,

''***वाद पेश हुआ। पुकार पर वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 25ग दिनांक 30.04.2022 को पेश हो।***''हस्ताक्षर अपठित।

8.5 दिनांक 30.04.2022 को इस आशय का आदेश पारित हुआ कि,''***वाद पेश हुआ। पुकार पर वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 25ग दिनांक 06.05.2022 को पेश हो।***'' उसी दिन बादहू यह आदेश पारित हुआ कि,''***वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से आपत्ति दाखिल की गयी। पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो।***'' उक्त आदेश पत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

8.6 दिनांक 06.05.2022 को इस आशय का आदेश पारित हुआ कि,''***वाद पेश हुआ। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 25ग पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.05.2022 को पेश हो।***''हस्ताक्षर अपठित।

8.7 दिनांक 19.05.2022 को कोई आदेश पारित नहीं हुआ तथा आदेश पत्र पर इस आशय का आदेश पारित किया गया कि,''***वाद पेश हुआ। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवायी दिनांक 31.05.22 को पेश हो।***''हस्ताक्षर अपठित।

8.8 दिनांक 31.05.2022 को आदेश पत्र पर यह आदेश हुआ कि,''***वाद पेश हुआ। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवायी दिनांक 26.07.2022 को पेश हो।***'' हस्ताक्षर अपठनीय। दिनांक 26.07.2022 में आदेश पत्र नहीं लिखा गया, आदेश पत्र के दांये हाशिये पर 08.08.2022 अंकित है। दिनांक 08.08.2022 को आदेश पत्र पर यह आदेश पारित किया गया कि, ***''Case called out. Heard Councel for the plaintiff and defendent Present before the court. heard councels were heard upon application 6C and upon its objections 18C.''*** दिनांकः08.08.2022 को यह आदेश पारित किया गया कि ***"Present Suit of the plaintiff against the defendent is dismissed. File to be consigned to record room after the necessary requirments being fulfilled."*** जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है किस पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया, उसका नाम अंकित नहीं है।

8.9 मूलवाद की पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रार्थना पत्र 25ग प्रतिवादी की ओर से आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के तहत वादपत्र को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके विरूद्ध वादिनी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी, परन्तु उसके बाद भी आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। दो तिथियॉ आदेश हेतु नियत की गयी, आदेश पारित क्यों नहीं किया गया इसका कोई उल्लेख आदेश पत्र पर नहीं है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **आर0के0 रोजा बनाम वी.एस. रेड्डी ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 3182** में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रतिवादी की ओर से आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के तहत वादपत्र निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को पहले निस्तारित करेगा, उसके पश्चात ही कोई अग्रिम कार्यवाही उक्त वाद में करेगा।

10. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया और पत्रावली आदेश हेतु नियत कर दी गयी और इसका उल्लेख आदेश पत्र पर भी कर दिया गया था तो विद्वान परीक्षण न्यायालय को आदेश–7

नियम–11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र 25ग का निस्तारण करना चाहिए था, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण न कर एक मनमानले तरीके से प्रार्थना पत्र 6ग को निस्तारित करते हुए हुए वादिनी का वाद निरस्त कर दिया, जबकि कोई भी प्रार्थना पत्र 6ग पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

11. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.20 को जो निर्णय/डिक्री पारित की गयी है, उसमें किसी भी पीठासीन अधिकारी का नाम अंकित नहीं है कि किस पीठासीन अधिकारी द्वारा यह निर्णय/डिक्री पारित की गयी। निर्णय आदेश–20 के निर्धारित प्रारूप पर भी नहीं है। आदेश–14 नियम–2 सी0पी0सी0 के अनुसार यदि किसी पत्रावली में विवाद्यक विरचित किये गये है तो विद्वान परीक्षण न्यायालय को सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना आज्ञापक है। आदेश–14 नियम–2 निम्नप्रकार पठनीय है–

न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना–

1. इस बात के होते हुए भी किस वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा।

2. जहॉ विधि विवाद्यक और तथ्य विवाद्यक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए है और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है वहॉ यदि वह विवाद्यक–

(क) न्यायालय की अधिकारिता, अथवा

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ठ वाद के वर्जन, से सम्बन्धित है तो वह पहले उस विवाद्यक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक से समझे तो, वह अन्य विवाद्यकों का निपटारा तब तक के लिए मुल्तवी कर सकेगा जब तक कि उस विवाद्यक का अवधारण न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवाद्यक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा।

12. सामान्य नियमावली (सिविल) 1957 के नियम–90, 91, 92 में निर्णय अभिलिखित किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है–

12.1 **नियम–90 निर्णय अभिलिखित करने का ढंग**–निर्णय फुल स्केप कागज पर पृष्ठ का चौथाई भाग सादा छोड़ते हुए होगा। प्रत्येक निर्णय में सबसे ऊपर मुकद्मा की संख्या और समस्त पक्षकारों के नाम विनिर्दिष्ट करते हुए एक शीर्षक होगा।

कोई भी न्यायालय आदेश पत्र पर अथवा अन्य कागज पर जो पहले से पत्रावली में हो, जैसे अभिवचन, आवेदन, आपत्ति इत्यादि निर्णया{अथवा आदेश} या अन्तिम आदेश नहीं लिखेगाः

{प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ मुकद्मा के समाप्त होने के तुरन्त बाद निर्णय या प्रवर्तनशील भाग खुले न्यायालय में घोषित किया जाये, उक्त प्रवर्तनशील भाग आदेश पत्र पर लिखा अथवा टाइप और हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित किया जा सकता है।

निर्णय 1{या आदेश} न्यायाधीश द्वारा लिखा या टाईप किया जा सकता है, अथवा उसके बोलने पर अभिलिखित किया जा सकता हैः परन्तु निर्णय1{या आदेश} के अभिलेख का प्रत्येक पृष्ठ जो न्यायाधीश के लेख में न हो न्यायाधीश के सूक्ष्म–हस्ताक्षर द्वारा अनुप्रमाणित होगा।

नियम–91 कतपय निर्णयों में सिविल प्रकिया संहिता के उपबन्ध देना–जब वादपत्रों को खारिज अथवा वापस किया जाये, और बिना डिक्री के निस्तारित किये गये मुकद्मों में, और उन मुकद्मों में भी जिनमे बिना प्रतिवाद के

डिक्री पारित की जाये, न्यायाधीश संहिता की वह धारा अथवा आदेश और नियम अभिलिखित करेगा जिसके अन्तर्गत निर्णय अथवा आदेश पारित किया गया हो।

नियम–92 निर्णय में पक्षकारों और साक्षियों का संदर्भ एवं संक्षेपाक्षरों का प्रयोग–(1) निर्णय में पक्षकारों और साक्षियों का संदर्भ केवल संख्या, जैसे पी0डब्लू0–1 या प्रतिवादी 1 से न देकर उसके नाम और संख्या से दिया जाायेगा।

(2) अति प्रचलित और सामान्य प्रयोग में आने वाले संक्षेपाक्षरों, जैसे ए0एम0, पी0एम0, ई0जी0 आदि के अतिरिक्त निर्णय में शब्द संक्षेपाक्षर के रूप में न होकर पूरे–पूरे अन्तर्विष्ट किये जायेगें।

13. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2021 को वाद विन्दु विरचित किये गये, उसके बाद पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत नियत की गयी, परन्तु उभय पक्षों को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपने आदेश दिनांकित 08.08.2022 के द्वारा वादी का वाद निरस्त किया गया, उसमें किसी भी विवाद्यक उल्लेख नहीं किया गया और न ही किसी विवाद्यक पर अपना निर्णय दिया। उभय पक्षों के द्वारा मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पुनः परीक्षण कराये जाने की याचना की है।

14. धारा–107 सी0पी0सी0 में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है जो निम्नवत् है–

धारा–107 सी0पी0सी0 अपीलीय न्यायालय की शक्तियॉ–

(1) ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, अपील न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह–

(क) मामले का अन्तिम रूप से अवधारण करें,

(ख) मामले का प्रतिप्रेक्षण करें,

(ग) विवाद्यक विरचित करें और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करें,

(घ) अतिरिक्त साक्ष्य ले या ऐसे साक्ष्य का लिया जाना आपेक्षित करें।

(2) पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, अपील न्यायालय को वे ही शक्तियां होंगी और वह जहॉ तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, जो आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालयों में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदत्त और उन पर अधिरोपित किये गए है।

15. आदेश–41 नियम–23 सी0पी0सी0 के अनुसार–

मामले का अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण–जहॉ उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गयी है। वाद का निपटारा किसी प्रारम्भिक बात पर कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गयी है, यदि वहॉ अपील न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो वह मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाये और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को जिसको डिक्री की अपील की गयी है इन निर्देशों के साथ भेजेगा कि वह वाद, सिविल वादों के रजिस्टर में अपने मूल संख्यांक पर पुनः ग्रहण किया जाये और वाद के अवधारण के लिए आगे कार्यवाही की जाये, और यदि कोई साक्ष्य मूल विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया था तो वह सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रतिप्रेक्षण के पश्चात वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **शिव कुमार बनाम शरणावसप्पा (2021) 11 एस.सी.सी. 27** में यह अभिनिर्धारित किया कि धारा–41

नियम–23 सी0पी0सी0 के तहत मामले को प्रतिप्रेषण किये जाने की अर्न्तनिहित शक्ति प्राप्त है, वह न्यायहित में आवश्यक समझता है तब विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी तात्विक विवाद्यक की और किसी तथ्य के प्रश्न को निर्धारित करने में अनदेखी की गयी है दूसरे शब्दों में जहॉ पर परीक्षण न्यायालय द्वारा परीक्षण के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है, जबकि उसके द्वारा वाद को गुणदोष के आधार निर्धारित किया गया है तथा ऐसे मामलों में जहॉ किसी विशेष कारणों से पुनः सुनवायी आवश्यक मानी जाती है और विशेष रूप से इस कारण से कि किसी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **अरविन्द कुमार जायसवाल बनाम देवेन्द्र कुमार जायसवाल वरूण 2023 एस0सी0सी0 ऑन लाईन एस.सी. 146** में यह अभिनिर्धारित किया कि जहॉ अपीलीय न्यायालय यह पाता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा जहॉ पर विवाद में मामले का वास्तविक परीक्षण नहीं हुआ या मामले का पूर्ण रूप से या प्रभावी रूप से न्याय निर्णयन नहीं किया गया तथा जहॉ पक्षकारों के साथ इस कारण से तात्विक अन्याय कारित हुआ हो।

निष्कर्ष

18. विद्वान परीक्षण न्यायालय को यदि प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र पर सुना गया और पत्रावली आदेश हेतु नियत की गयी, परन्तु आदेश क्यों नहीं पारित किया गया, इसका कोई कारण पत्रावली पर उल्लिखित नहीं किया गया तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उसके बाद कई तिथियॉ नियत की गयी तथा दिनांक 26.07.2022 को कोई भी आदेश आदेशपत्र पर पारित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र 6ग का निस्तारण करते हुए दिनांक 08.08.2022 को वादिनी का वाद निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि कोई भी प्रार्थना पत्र 6ग पत्रावली पर नहीं है, जबकि आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आज्ञापक था। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किये गये परन्तु किसी भी वाद विन्दु पर कोई भी निर्णय नहीं दिया, न ही पक्षकारो को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता तथा सामान्य नियमावली (सिविल) के प्राविधानों तथा न्यायिक सिद्धान्तों के अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से आदेश दिनांकित 08.08.2022 पारित किया गया, जिससे पक्षकारों के साथ तात्विक अन्याय कारित हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित किय जाने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त प्रतिपादत किया गया है, यदि वह इस प्रकरण में लागू किया जाये तो प्रथम सिविल अपील संख्या–50/2022 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को स्वीकार करते हुए मूलवाद संख्या–375/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 को अपास्त करते हुए मामले को पुनः सुनवायी के लिए प्रतिप्रेषित करना न्यायसंगत होगा।

आदेश

1. प्रथम सिविल अपील संख्या–50/2022 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया स्वीकार की जाती है एवं विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–375/2021 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 08.08.2022 अपास्त की जाती है।

2. विद्वान परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह मूलवाद संख्या–375/2021 श्रुति गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को मूल संख्यांक पर पुनः

ग्रहरण करे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थना पत्र 25ग अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 पर पक्षकारों को सुनकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें।

3. यदि मूलवाद अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के तहत निरस्त नहीं किया जाता है, उसके पश्चात विद्वान परीक्षण न्यायालय पक्षकारो को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करें।

4. पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

5. उभय पक्ष दिनांक 06.05.2024 को विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली अविलम्ब विद्वान परीक्षण न्यायालय को प्रेषित हो, कार्यालय लिपिक अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनॉक–30.04.2023

(तबरेज अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–10, बरेली।

उक्त निर्णय आज दिनांकित व स्व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–30.04.2023

(तबरेज अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–10, बरेली।

Digitally signed by Tabrez Ahmad
Date: 2024.04.30 12:45:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court